न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 110/2018

धापू उर्फ संतोषदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा शाहपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ

— प्रतिवादी

दावाघोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी:— श्री नेमीचन्द डूडी
वकील प्रति0 —राजपैरोकार तहसीलदार नवलगढ

निर्णय

दिनांक 01.08.2019

वादीया द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शहापुरा की सरहद में खाता सं0 नया 288 के अंतर्गत भूमि ख.न. 781 रकबा 1.07 है0 स्थित ह। उपरोक्त भूमि वादिया की अपने हक हिस्से की भूमि है। जिस पर वादिया काश्त करती आ रही है। उपरोक्त भूमि पर कब्जे काश्त का कोई विवाद नही है। उपरोक्त वाद केवल धापूदेवी पत्नी रामेश्वरलाल की जागह संतोष देवी पत्नी रामेश्वरलाल दुरूस्त करवाने के लिये पेश किया गया है। वादिया द्वारा अन्य कोई सिद्धि नही चाही गई है। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादिया का नाम भूलवश संतोष देवी पत्नी रामेश्वरलाल की जगह धापूदेवी पत्नी रामेश्वरलाल दर्ज हो गया जबकि वादिया का वास्तविक व सही नाम संतोषदेवी पत्नी रामेश्वरलाल है तथा वादिया के समस्त दस्तावेजों में परिवार राशनकार्ड भामाशाह कार्ड आधार कार्ड उपरोक्त सभी दस्तावेजों में वादिया का वास्तविक व सही नाम संतोषदेवी पत्नी रामेश्वरलाल दर्ज है जो कि सही व सत्य है। समाज परिवार में भी वादिया को इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलती व भूलवश वादिया का नाम संतोषदेवी पत्नी रामेश्वरलाल की जगह धापूदेवी पत्नी रामेश्वरलाल दर्ज हो गया। कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादिया का नाम गलत दर्ज होने से वादिया को कई प्रकार की असुविधा हो रही है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादिया का नाम अन्य रिकार्ड दस्तोवजात से मेल नही खाता है। जबकि उक्त गलती सहवन व भूलवश हुई है। अतः वाद घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ। आवश्यकता पडने पर दिनांकि 21.06.2018 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने व गलत रिकाड्र का पाता लगने के रोज वादाधिकार पैदा हुआ व इस प्रकार के वाद के लिए खातेदार को हमेशा वाद कारण अदालत हाजा को समायत शामिल है। अतः वाद वादिया डिक्री फरमाया जावे कि राजस्व रिकार्ड ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा के खाता सं0 288 के ख.न. 781 रकबा 1.07 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिया का वास्तविक नाम संतोषदेवी पत्नी रामेश्वरलाल दर्ज कर इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि ग्राम में पूछताछ में बताया कि धापु उर्फ संतोष एक ही नाम है। असली ाम संतोष ही है। सरपंच ग्राम पंचायत गिरधरपुरा शाहपुरा की व्यक्तिगत जानकारी व रिपोर्ट अनुसार धापू का सही नाम संतोष है। प्रार्थीय के आधार कार्ड व राशनकार्ड में भी संतोष नाम है। दावा के सलग्न ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में धापू उर्फ संतोष पत्नी रामेश्वरलाल जाति माली इनको दोनो नामो से पुकारा जाता है। इसका असली नाम संतोषदेवी पत्नी रामेश्वरलाल होना अंकित किया गया है। जबाबदावा के साथ छाया प्रति आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड, में संतोष पत्नी रामेश्वरलाल अंकित किया गया है। नकल जमाबंदी ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा संवत 2063 से 2071 के अनुसार भूमि ख.न. 781 रकबा 1.07 है0 की खातेदारी श्रीमती धापूदेवी स्त्री रामेश्वरलाल जाति माली सा.देह खातेदार राहिन बीओबी शाखा नवलगढ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। अतः जबाब तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

नवलगढ तथा सलग्न दस्तावेजात वाद वादिया स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा की भूमि ख.न. 781 रकबा 1.07 है0 का श्रीमती धापूदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति माली के स्थान पर संतोषदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति माली दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा भूमि बी.ओ.बी. शाखा नवलगढ मूर्तहीन दर्ज की जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 1-8-2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

1-8-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर नवलगढ
सत्यमेव जयते